बाल अधिकार बाल श्रम एवं संवैधानिक–वैधानिक प्रावधान

बी.पी. यादव
विभागाध्यक्ष,
विधि विभाग,
ठाकुर छेदीलाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जांजगीर

सारांश

बच्चे दे"ा के भावी नागरिक है, इसलिये हमारे संविधान निर्माताओं की परिकल्पना का भारत साहसी एवं पराक्रमी बालकों में परिलक्षित होता है। उनकी कल्पना एक ऐसे बालक की रही है, जिसे समुचित सम्पूर्ण f"ाक्षा मिले। उसकी इस गरीब दे"ा में शोषण से रक्षा हो तथा उन्हें सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध है। लेकिन स्वत्रतत्रंता प्राप्ति को वर्षों प"चात् भी हमाारे दे"ा में बालक श्रम के दुष्कर्म में उलझा हुआ है। बालश्रम हमाारे दे"ा की एक गम्भीर समस्या है।

मुख्य शब्द : क्रान्तिकारी, स्वतन्त्रता, सैद्धान्तिक, दे"ाभक्ति, ब्रिटि"ाराज, दे"ाी राज्य।

प्रस्तावना

आज असंख्य बालक पढ़ने एवं खेलने से वंचित है एवं पल्लवित एवं पुष्पित होने के पूर्व ही टूट जाते है। उन्हें सड़कों पर जूता पॉलि"ा करने, कचरा चुनने एवं भिक्षावृत्ति करने के लिए विव"ा होना पड़ता है। उन्हें होटल एवं रेस्टोरेन्ट म जूठे बर्तन साफ करने या उन्ह जोखिम भरे कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में काम करना पड़ता है। ट्रेन में झाड़ू मारना, भीख मॉगना इत्यादि के द्वारा अपनी आजीविका चलनी पड़ती है।

भारतीय संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 24 यह कहता है कि चौदह वर्ष के कम आयु के बालको को किसी कारखाने या खान अथवा किसी अन्य जोखिम भरे कार्यो में लगाने का प्रतिषेध करता है। इस अनुच्छेद का उद्दे"य की रक्षा करना है, क्योंकि बच्चे दे"ा के भावी नागरिक है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा राज्य पर यह कत्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह अपने दे"ा–वासियों के (बालक भी) स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता को सुरक्षित रखें और इस बात का ध्यान रखें कि आर्थिक आव"यकता से मजबूर होकर अपनी आयु एवं शारीरिक क्षमता को हानि पहुँचाने वाले पे"ाो को न अपनाये। अनुच्छेद 15(3) अनुच्छेद 15 (1) और (2) में दिये गये सामान्य नियम का अपवाद है। यह अनुच्छेद 15(3) उपबन्धित करता है कि अनुच्छेद 15 को कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए काई वि"ोष उपबन्ध बनाने से नही रोकेगी। स्त्रिया और बालकों की स्वाभाविक प्रकृति ही ऐसी होती है जिसके कारण उन्हें वि"ोष संरक्षण की आव"यकता होती है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि 14 वर्ष के बालको को नि:"ाुल्क f"ाक्षा देना राज्य को संविधानिक दायित्व है क्योंकि अनुच्छेद 21 के अधीन शिक्षा पाने का अधिकार एक मूल अधिकार है।

अनुच्छेद 39 के अन्तर्गत राज्य पर जो कर्त्तव्य अधिरोपित किया गया है। राज्य में अपने इस कर्त्तव्य के पालन में निम्नलिखित अधिनियम पारित किये जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों की नियुक्ति करने का प्रतिषेध करता है।

1. बालक नियोजन अधिनियम 1938 (रेलवे एवं अन्य यातायात कार्यो में)
2. बालक श्रम (गिरवीकरण) अधिनियम 1933
3. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनिमय) अधिनियम 1986
4. भारतीय कारखाना अधिनियम 1948
5. खान अधिनियम 1952
6. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958
7. मोटर परिवहन कार्यकार अधिनियम 1961
8. बागान श्रम अधिनियम 1951
9. बीड़ी तथा सिगार कार्यकार (नियोजन की शर्ते) अधिनियम 1966

किशोर न्याय अधिनियम 1986 में कि"ाोर का तात्पर्य 16 वर्ष से कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से कम आयु को लड़की मानी गई है। ऐसे बालकों के द्वारा कोई अपराध करने पर कि"ाोर न्यायालय कार्य करता है। और उन्हे जल भेज कि"ाोर गृह भेजा जाता है

भारतीय दण्ड सहिंता के अन्तर्गत एक बालक सात वर्ष से कम का कोई भी अपराधिक दायित्व से मुक्त है। बालक सात वर्ष से अधिक एवं 12 वर्ष से कम हो तो उसके परिपक्कता एवं समय, मनस्थिति पर विचार किया जाता है।

भारतीय दण्ड सहिंता यह कहता है कि 20 वर्ष से कम का बालक को अश्लील साहित्य या चित्र बेचना दण्डनीय अपराध है। इसी तरह भारतीय सविंदा अधिनियम की धारा के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अवयस्क है एवं वह सविंदा नही कर सकता। उसके द्वारा किया गया सविंदा अवैध है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक बालक अपने मित्रो या अभिभावक के द्वारा वाद ला सकता है। साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत एक बालक साक्षी बनकर प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। अगर वह प्रश्न को समझाने की क्षमा रखता है।

हिन्दू दत्तक ग्रहण करने वाला एवं दत्तक अगर विपरीत लिंग के है, तो दोनो के मध्य 21 वर्ष का अन्तर होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने अन्तराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण पर कुछ अनिवार्य प्रक्रिया पालन करने के विदे"ा दिये है। (एल.के. पाण्डेय बनाम यूनियन आफ इंडिया)

बाल अधिकार पर भारतीय उच्चतम न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है जिस पर न्यायालय ने सरकार पर बालको को शोषण पर एवं विभिन्न अधिनियम एवं संविधानिक प्रावधानों को कठोरता से लागू करने पर जोर दिया है। एवं राज्य को निर्दे"ा दिया है कि न्यायालय के निर्दे"ा का दे"ा के किसी भी भाग में उल्लघन ना किया जावें।

प्रथम–पीफल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइटस बनाम भारत संघ, ए.आई.आर 1983 में न्यायालय ने कहां कि भवन निर्माण कार्य में बालक नियोजन अधिनियम 1938 लागू होता है भले उस अधिनियम की सूची में भवन निमार्ण कार्य नही आता है।

द्वितीय एम.सी.मेहता बनाम यूनियम ऑफ इण्डिया ऐ.आई आर. 1997 एक महत्वपूर्ण मामला है। न्यायालय ने यह अधिनिर्धारित किया है कि 14 वर्ष स कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या स्थान या अन्य संकट पूर्ण कार्यो में न्योजित नही किया जा सकता है। प्रस्तुत मामलें में दक्षिण भारत के शिवका"ाी में दिया ससाई और पटाखा बनाने वाले कारखानों में हजारों की संख्या में बाल श्रमिक काम कर रहे है (27338 श्रमिको में 2941 बाल श्रमिक थें बालकों की दयनीय स्थिति की ओर सरकर का ध्यान लाया एवं एक समिति गठित किया गया जिसके बाद न्यायालय ने बालकों के सरंक्षण के लिए विभिन्न निर्दे"ा दिये।

एक समाचार पत्र में प्रकाि"ात एक समाचार अनुसार चार लाख वाले भावनगर एक ऐसा शहर है जहां 300 उद्योगो में लगभग 13000 हजार बाल श्रमिक काम मे लगे हुये है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह दुर्भाग्य का विषय है कि बाल श्रमिक का निवारणार्थ बने असंख्य कानूनों तथा अन्तराष्ट्रीय अमिसमयो के हाते हुये दे"ा में बाल श्रमिको की संख्या मे निरन्तर वृद्धि होती रही है।

उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदे"ा राज्य 1993 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अयह अभिनिर्धारित किया गया है कि– अनुच्छेद 45 यद्यपि नीतिनिर्दे"ाक तत्वों के अध्याय मे है लेकिन बदलते हुये परिवे"ा में यह मूल अधिकार का स्थान ले चुका है।

उच्चतम न्यायालय ने अन्ततः यह दे"ा निर्दे"ा जारी किये किः–

1. सरकार दे"ा में कार्यरत श्रमिकों का सर्वेक्षण कराये। बालको को यान्त्रिक प्रक्रियो से दूर रखते हुए वैयक्तिक श्रम (मानव श्रम) वाले कार्यो में नियोजित किया जावे।
2. बालको का नियोजन समाप्त हो जाये अथवा अवरूद्ध हो जाने पर उनके लिये शि"ाक्षा का समूचित प्रबंध किया जावे।
3. श्रम विभाग के निरीक्षको की कार्य"ौली पर निगरानी रखी जाये।
4. बालकों को निषेधित कार्यो पर नियोजित करने वाले व्यक्तियों को विधि अनुसार दण्डित किया जावे।
5. किसी भी बालक से एक दिन पर 06 घण्टे से अधिक काम न किया जाये।
6. प्रत्येक बालक को प्रतिदिन न्यूनतम दो घण्टे तक शि"ाक्षा के अवसर उपलब्ध कराये जाये। जिसे नियोजक वाहन करेगा इत्यादि।

उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी यह निदे"ा ने केवल बालश्रम की प्रवृति पर अंकु"ा लगाने वाले है अपितु बालकों के सवागीण विकास का भाग प्र"ास्त कराने वाले है।

संदर्भ

1. जय नारायण पाण्डेय– भारत का संविधान 2012
2. डी.डी. बासू– भारत का संविधान
3. उन्नीकृष्ण बनाम आन्ध्रप्रदे"ा राज्य 1933 एस.सी.645
4. डॉ. दसन्तीलाल बाबेल– विध एवं सामाजिक परिवर्तन
5. कि"ाोर न्याय अधिनियम 1986
6. राजाराम यादव– भारतीय दण्ड सहिता 1860
7. भारतीय साक्ष्य अधिनियम
8. भारतीय संविदा अधिनियम
9. भारतीय सिविल प्रक्रिया अधिनियम
10. अन्य पुस्तकें
11. भारतीय संवैधानिक विधि, नई चुनौतियॉ–"यामलाल शर्मा
12. अंजनी कांत– महिला एवं बाल कानून